



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए क्रमांक - 1696 / 2026

दीपक कुमार

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : राज कुमार सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार की बात सुनी।
- यद्यपि यह याचिका दिनांक 03.09.2025 के निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, लेकिन आज दिनांक 05.02.2026 के आदेश के पारित होने के बाद, कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर से दिनांक 11.02.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं (उसी के पृष्ठ 5 पर), जिसके अनुसार दिनांक 09.02.2026 को निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है।
- तदनुसार, रिट याचिका निरर्थक होने के कारण **खारिज** की जाती है, हालांकि, प्रतिवादियों को समय आने पर कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।
- आज दाखिल किए गए निर्देश अभिलेख में दर्ज कर लिए गए हैं और परिशिष्ट ए के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

फरवरी 16, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”